(71)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1188—चार/2008 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 30—08—2008 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 770/निगरानी/2006—07.

.....

1—लखपति सिंह पुत्र शंभू सिंह
निवासी ग्राम गजरी तहसील
मंझोली जिला सीधी म0प्र0

—— आवेदक

विरूद्ध

1—श्रीमती शांति सिंह बेवा रणबहादुर सिंह
2—अखिलेश सिंह पुत्र रणबहादुर सिंह
3—सरस्वती सिंह 4— लक्षमी सिंह
5—अनुसुईया पुत्रीगण रणबहादुर सिंह
6—वीरेश कुमार सिंह पुत्र श्री हरगोपाल सिंह
निवासी ग्राम गजरी तहसील
मंझोली जिला सीधी म0प्र0
7—म0 प्र0 शासन

—— अनावेदकगण

.....

श्री एस0 पी0 धाकड़, अभिभाषक, आवेदक
श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा,अभिभाषक अनावेदक—1 से 6
शासन के पैनल अधिवक्ता अनावेदक कमांक—7

.....

आदेश

(आज दिनांक 11/10/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–08–2008 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मंझोली जिला सीधी के न्यायालय में संहिता की धारा 89 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। जहां पर अनुविभागीय अधिकारी मंझोली द्वारा आवेदन पत्र संहिता की धारा 89 की परिधि के बाहर मानते हुये निरस्त कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला सीधी के न्यायालय में गैर निगरानीकर्ता द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर जिला सीधी द्वारा अपील स्वीकार करते हुये प्रकरण प्रत्यावर्तित किया उससे से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई, अपर आयुक्त रीवा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त की गई इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि विवादित भूमि के भूमिस्वामी एवं आधिपत्य धारी लखपति सिंह पुत्र शंभू सिंह बघेल थे । बन्दोवस्त के पूर्व विवादित भूमि सर्वे कमांक पुराना 1157 रकवा 0.146 है0 तथा नया नम्बर 2158 रकवा 0.12 है0 काबिज होकर कास्त करते चले आ रहे थे। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संहिता की धारा 89 के अधीन इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि बन्दोवस्त की कार्यवाही के दौरान राजस्व निरीक्षक द्वारा बन्दोबस्त के समय त्रुटि की गई है। इसे दुरूस्त किया जावे। विवादित भूमि के भूमिस्वामी आवेदक हैं, आवेदक के अक्श व क्षेत्रफल में कोई त्रुटि नहीं हुई है। इस प्रकार अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आवेदक को परेशान करने की नियत से प्रस्तुत किया गया हैं इस कारण अनावेदकगण का आवेदन पत्र प्रचलनशील नहीं होने से एवं अवधि वाह्य होने के कारण निरस्त किया गया हैं, अनावेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर जिला सीधी के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की है । अपील योग्य आदेश को

निगरानी में चुनौती दी हैं इस कारण निगरानी योग्य नहीं होने से भी स्वीकार करने में भारी कानूनी त्रुटि की है, इस कारण आलोच्य आदेश अपास्तनीय है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि संहिता की धारा 113 में लिपिकीय भूल या पक्षकारों की सहमति का आधार अनुविभागीय अधिकारी को आदेश देने की अधिकारिता है। धारा 89 में केवल राजस्व सर्वेक्षण बन्द होने के बाद तथा बन्दोवस्त कार्य चालू रहने के दौरान सर्वे नम्बर रकवा राजस्व निर्धारण में भूल या गणना को ठीक कर सकता हैं परन्तु संहिता की धारा 89 में समय सीमा का ध्यान रखना होगा। उक्त प्रकरण में बन्दोवस्त सन् 1996–97 में हो गया था। उसे सन् 2003 में चुनौती दी गई है इस कारण उक्त आवेदन अवधि वाह्य एवं अधिकारिता रहित होने से निरस्त किया था। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि जहां तक बन्दोवस्त की त्रुटि में सुधार करने का प्रश्न है अनुविभागीय अधिकारी को रकवा में कमी आने पर आदेश पारित करने की अधिकारिता है। अक्श की त्रुटि को दुरूस्त करने की अधिकारति नहीं हैं, यह केवल संहिता की धारा 107 (5) में कलेक्टर को अधिकारिता है। इस कारण उक्त आदेश अधिकार विहीन होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया हैं।

4– अनावेदकगण के अधिवक्ता का तर्क है कि ग्राम गजरी की भूमि सर्वे कमांक पुराना 1157 रकवा 0.146 है0 तथा नया नम्बर 2158 रकवा 0.12 है0 काबिज होकर कास्त करते चले आ रहे थे। जिसकी पृविष्टि अनावेदिका के पति रण बहादुर सिंह आदि के नाम चली आ रही थी। बादग्रस्त भूमि का पुराना नक्शा भी मौके के स्थिति के अनुसार था। वर्तमान बन्दोबस्त हुआ तो आवेदक ने सांठ गांठ करके वादग्रस्त भूमि को राजस्व अभिलेख में बिना किसी सक्षम अधिकारी के अपना नाम भूमिस्वामी के रूप में अंकित करा लिया तथा वही वर्तमान बन्दोवस्त द्वारा जो वादग्रस्त भूमि का नक्शा तैयार किया गया वह पुराने नक्शे एवं मौके की स्थिति के अनुसार तैयार न कर नया नक्शा में वादगस्त भूमि का रकवा 6 1/2 डिस0 कम कर दिया गया था। अनावेदकगण को जब वर्तमान बन्दोवस्ती की त्रुटि की जानकारी हुई तो अनावेदकगण ने न्यायालयीन कार्यवाही की । अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा जो आदेश

पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि प्रावधानों से उचित एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वांत से उचित है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा दिनांक 30.4.03 को आवेदन पत्र को प्रचलनशील न मानते हुये निरस्त कर दिया गया है जबकि कोई भी आवेदन जब किसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो सर्वप्रथम क्षेत्राधिकार व ग्राह्यता पर ही विचार किये जाने के पश्चात ही पंजीबद्व किया जाता है, लेकिन अनुविभागीय अधिकारी ने अंतिम निष्कर्ष निकालते हुये आवेदन पत्र को प्रचलनशील नहीं माना हैं यदि अनुविभागीय अधिकारी ने यह माना था कि धारा 89 का आवेदन पत्र प्रचलनशील नहीं है तो संबंधित पीठासीन अधिकारी के न्यायालय में आवेदन पत्र को वापस किया जाना चाहिये था। प्रकरण में पटवारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट था कि जो त्रुटि हुई है वह बंदोवस्त के समय हुई है, और बंदोवस्त के समय हुई त्रुटि को धारा 89 के अन्तर्गत सुधार किये जाने का प्रावधान है। अपर कलेक्टर द्वारा आदेश दिनांक 9.8.07 में यही निष्कर्ष निकाल कर विधि सम्मत सुनवाई करने के उपरांत प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है जो अपर आयुक्त रीवा द्वारा स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 770/निगरानी/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 30.8.08 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर